

विषय सूची

हमारे बारे में	
स्थापना	
प्रस्तावना	2
विधि ढांचा	2
मुख्य कार्य	2
भारत में जमा बीमा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं	2
अधिदेश एवं शक्तियां	
सदस्यता	3
कवरेज	3
प्रीमियम	4
जमाकर्ताओं को दावा भुगतान	4
निपटाए गए दावों की वसूली	5
संचार रणनीति और जन जागरूकता	6
संगठन और कार्य	7
संगठन की संरचना	7
संगठनात्मक आरेख	9
विभाग	10
डीआईसीजीसी के प्रकाशन	
इतिहास	10

हमारे बारे में

स्थापना

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की स्थापना 1 जनवरी 1962 को <u>निक्षेप बीमा</u> <u>और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961</u> के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

डीआईसीजीसी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। निगम की प्राधिकृत पूंजी ₹50 करोड़ (₹500 मिलियन) है, जो पूर्णतः आरबीआई द्वारा अभिदत्त है।

डीआईसीजीसी का प्रधान कार्यालय मुंबई में है।

प्रस्तावना

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह अधिनियम निक्षेप के बीमे और प्रत्यय सुविधाओं की गारंटी देने के प्रयोजन के लिए एक निगम की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य मामलों के लिए उपबंध करने हेतु बनाया गया है।

विधि ढांचा

डीआईसीजीसी के कार्य समय-समय पर संशोधित <u>डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 और</u> डीआईसीजीसी सामान्य विनियमावली, 1961 द्वारा शासित हैं।'

मुख्य कार्य

जमा बीमा प्रणाली के दो प्रमुख सार्वजनिक नीति उद्देश्य जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना और वित्तीय स्थिरता में योगदान देना है। डीआईसीजीसी का मुख्य कार्य जमा बीमा नीति तैयार करना, उसे लागू करना और उसकी निगरानी करना है।

मिशन: लघु जमाकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न: एक सक्षम और प्रभावी जमा बीमा प्रदाता के रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

भारत में जमा बीमा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

अधिदेश एवं शक्तियां

निगम को बीमाकृत बैंक के समापन के मामले में तथा किसी बीमाकृत बैंक के संबंध में समझौता या व्यवस्था या पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना स्वीकृत होने के मामले में तथा योजना की मांग होने पर जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अगस्त 2021 में डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन के साथ निगम के अधिदेश को मजबूत किया गया था। इस संशोधन, अर्थात धारा 18ए को सम्मिलित करने से बैंकिंग पर्यवेक्षक, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निदेशों के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने का प्रावधान किया गया, क्योंकि इस प्रकार के निदेश ऐसे बैंक के जमाकर्ताओं पर अपनी जमा राशि निकालने पर प्रतिबंध लगाते हैं।

सदस्यता

जमा बीमा योजना को शुरू में भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सिहत वाणिज्यिक बैंकों तक विस्तारित किया गया था। 1968 से यह योजना सहकारी बैंकों तक विस्तारित कर दी गयी। बीमाकृत वाणिज्यिक बैंकों में लघु वित्त बैंक (एसएफबी), भुगतान बैंक (पीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शामिल हैं। जमा बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले सहकारी बैंकों में राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और प्राथमिक सहकारी बैंक/शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) शामिल हैं। भूमि विकास बैंक और एनबीएफसी डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत अनिवार्य डीआईसीजीसी बीमा कवर के अंतर्गत नहीं आते।

कवरेज

दायराः निगम (i) संघ/राज्य सरकारों की जमाराशियों; (ii) विदेशी सरकारों की जमाराशियों (iii) अंतर-बैंक जमाराशियों; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियों, तथा (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमाराशियों को छोड़कर सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

कवरेज सीमा: 4 फरवरी 2020 से प्रभावी, वर्तमान जमा बीमा कवरेज सीमा, किसी बैंक की सभी शाखाओं में "समान क्षमता और समान अधिकार" में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर प्रति जमाकर्ता ₹5,00,000/- (लगभग 6,000 यूएस डॉलर) है। डीआईसीजीसी अधिनियम निगम को केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ाने का अधिकार देता है। तदनुसार, समय-समय पर इस सीमा को संशोधित किया गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

तालिका : जमा बीमा कवरेज

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा
1 जनवरी 1962	₹1,500/-
1 जनवरी 1968	₹5,000/-
1 अप्रैल 1970	₹10,000/-
1 जनवरी 1976	₹20,000/-
1 जुलाई 1980	₹30,000/-
1 मई 1993	₹1,00,000/-
4 फरवरी 2020	₹5,00,000/-

प्रीमियम

निगम वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 से प्रति वर्ष ₹100 की निर्धारणीय जमाराशि पर 12 पैसे (₹0.12) की एक समान दर से प्रीमियम लेता है।

निगम निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले प्रीमियम का परिकलन उनकी निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। प्रीमियम जो पहले बीमाकृत बैंकों से तिमाही आधार पर लिया जाता था, उसे 1979 से अर्धवार्षिक आधार पर देय कर दिया गया।

बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम बीमा प्रीमियम अर्ध-वार्षिक आधार पर पिछली छमाही के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। अर्थात्, अप्रैल-सितंबर (और अक्टूबर-मार्च) छमाही के लिए अग्रिम प्रीमियम मार्च के अंत (सितंबर के अंत) में निर्धारणीय /पात्र जमाराशि पर आधारित है और इसका भुगतान मई के अंत (नवंबर के अंत) तक किया जाना है। प्रीमियम की दर समय-समय पर संशोधित की गई है (तालिका)।

तालिका: बीमा प्रीमियम दरें (₹100 की जमाराशि के प्रतिशत के अनुसार)

तारीख से	प्रीमियम (₹में)
1 जनवरी 1962	0.05
1 अक्तूबर 1971	0.04
1 जुलाई 1993	0.05
1 अप्रैल 2004	0.08
1 अप्रैल 2005	0.10
1 अप्रैल २०२०	0.12

जमाकर्ताओं को दावा भुगतान

डीआईसीजीसी निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमाकृत जमाकर्ताओं को भुगतान करता है:

 यदि किसी बैंक का पुनर्निर्माण/समामेलन/किसी अन्य बैंक में विलय किया जाता है, तो डीआईसीजीसी संबंधित बैंक को, जमा की पूरी राशि या उस समय लागू बीमा कवर की सीमा, जो भी कम हो, और पुनर्निर्माण/समामेलन योजना के तहत बीमित बैंक/ बीमित बैंक/ अंतरिती

- बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से दावा सूची प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर उसके द्वारा प्राप्त राशि, जैसा भी मामला हो, के बीच के अंतर का भुगतान करता है।
- ऐसे मामलों में जहां आरबीआई बीमाकृत बैंकों पर निदेश लगाता है और ऐसे निदेश जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशियों की प्राप्ति से रोकते हैं, तो डीआईसीजीसी प्रत्येक जमाकर्ता को समान क्षमता और समान अधिकार में रखी गई जमाराशियों के संबंध में 90 दिनों के भीतर पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके लिए 45 दिनों के भीतर एक सूची प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें बीमाकृत बैंक द्वारा निदेशों के प्रभावी होने की तिथि तक प्रत्येक जमाकर्ता की बकाया जमाराशियों को दर्शाया जाएगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उसे सही प्रमाणित किया जाएगा। डीआईसीजीसी अगले 45 दिनों में भुगतान करेगा।
- जब किसी बैंक के परिसमापन/समापन का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है, तो डीआईसीजीसी प्रत्येक जमाकर्ता को बीमाकृत बैंक में समान क्षमता और समान अधिकार में रखी गई उसकी जमाराशियों के बदले में पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसी प्रतिपूर्ति परिसमापक से निर्धारित प्रपत्र में दावा सूची प्राप्त होने के दो माह के भीतर की जानी है। परिसमापक को प्रत्येक बीमाकृत जमाकर्ता को उनकी दावा राशि के अनुरूप दावा राशि वितरित करनी होती है।

बीमाकृत जमाकर्ताओं को सभी भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ एजेंसी व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है।

निपटाए गए दावों की वसूली

डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगम द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर,

- किसी बीमाकृत बैंक के संबंध में समझौता/व्यवस्था/पुनर्निर्माण/समामेलन की योजना के मामले
 में, बैंक निगम द्वारा निर्धारित समय-सीमा और तरीके से निगम को पुनर्भुगतान करेगा।
- एआईडी के तहत रखे गए बीमाकृत बैंक के मामले में, बैंक अगले वर्ष से प्रारंभ करते हुए पांच बराबर वार्षिक किस्तों में निगम को राशि वापस करेगा।
- किसी बैंक के परिसमापन के मामले में जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और तत्पश्चात् निगम द्वारा उसे विपंजीकृत कर दिया गया है, परिसमापक, समय-समय पर विफल बैंक की आस्तियों से प्राप्त राशियों तथा व्ययों को घटाने के पश्चात उपलब्ध अन्य राशियों में से यह राशि निगम को चुकाएगा।

संचार रणनीति और जन जागरूकता

- संचार नीति: अधुनिक जमा बीमाकर्ताओं की कार्यप्रणाली में संचार एक प्रमुख तत्व है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही पर अधिक जोर दे रहा है। निगम ने आईएडीआई कोर सिद्धांत 10 के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित संचार नीति तैयार की है। यह नीति प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और समयबद्धता के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करती है। आरबीआई, डीआईसीजीसी और बाहरी संचार विशेषज्ञों के सदस्यों के साथ एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य विविध (भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और अयु) पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए निगम के लिए संचार रणनीति का मार्गदर्शन करना है। इस रणनीति के एक हिस्से के रूप में, निगम अपनी वेबसाइट पर तथा बीमाकृत बैंकों के माध्यम से जनता को जमा बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करता है।
- ब्रोशर, पोस्टर और विज्ञापनों का मुद्रण: समय-समय पर डीआईसीजीसी बीमित बैंकों के कार्यालयों/शाखाओं में अंग्रेजी, हिंदी और प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रोशर और पोस्टर मुद्रित कराकर जमा बीमा के बारे में जानकारी का प्रचार करता रहा है।
- आरबीआई की फेम पुस्तिका में जमा बीमा और डीआईसीजीसी पर अध्याय: निगम अपने जन जागरूकता अभियानों में जमा बीमा और डीआईसीजीसी के बारे में जानकारी शामिल करने के लिए आरबीआई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2024 की आरबीआई की वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका में अब जमा बीमा और डीआईसीजीसी पर एक विशिष्ट अध्याय है।
- स्थानीय मैसेजिंग ऐप का उपयोग: वर्ष 2022-23 के दौरान, निगम ने जमा बीमा पर जमाकर्ताओं की जागरूकता के लिए एक स्थानीय मैसेजिंग ऐप का उपयोग शुरू किया, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां बैंकों को आरबीआई के सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के तहत रखा गया है या डीआईसीजीसी से दावे प्राप्त करने के लिए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जमा बीमा संबंधी इन संदेशों को जनता तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित किया गया है।
- बैंकों की वेबसाइट पर डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड का प्रदर्शन: जमा बीमा से संबंधित सूचना के केंद्रित प्रसार के लिए सभी बीमित बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 1 सितंबर 2023 से अपने वेब पेज पर डीआईसीजीसी लोगो और क्यूआर कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
- दावा निपटान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण अर्थात दावे की प्राप्ति पर और दावे की मंजूरी पर,
 परिसमाप्त बैंकों और एआईडी के तहत बैंकों के जमाकर्ताओं को मोबाइल फोन के माध्यम

से इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजे जा रहे हैं। इससे दावा निपटान की जानकारी को वास्तविक समय पर साझा करना संभव हो जाता है।

- दावा स्थिति ट्रैकर: सामान्य जन डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध दावा स्थिति ट्रैकर अर्थात 'दावा सूचक' के माध्यम से भी अपने दावे की स्थिति की जांच कर सकते हैं। वर्तमान में यह सुविधा 1 अप्रैल 2024 से आरबीआई के एआईडी के तहत रखे गए बैंकों के लिए उपलब्ध है और शीघ्र ही इसे परिसमाप्त बैंकों तक विस्तारित किया जाएगा।
- आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति: जैसे ही किसी बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जमाराशि की निकासी पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए जाते हैं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बैंकों/जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18ए के तहत डीआईसीजीसी भुगतान के बारे में जानकारी शामिल की जाती है।
- डीआईसीजीसी प्रेस विज्ञप्ति: जैसे ही आरबीआई बैंक का लाइसेंस रद्द करता है या किसी बैंक को एआईडी के तहत रखता है, जिसके लिए डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 16 या धारा 18ए के तहत, जैसा भी मामला हो, डीआईसीजीसी द्वारा भुगतान की आवश्यकता होती है, दावे के भुगतान की तारीख, सम्मित फॉर्म जमा करने का विवरण और परिसमापक/एआईडी बैंकों के संपर्क विवरण डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं।
- डीआईसीजीसी न्यूज़लेटर: अपनी वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन के अतिरिक्त, डीआईसीजीसी अपने सभी हितधारकों की जानकारी के लिए, भारत और विश्व में जमा बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करने वाले छमाही न्यूज़लेटर "सुरक्षा कवच" (1 अप्रैल 2024 से प्रभावी) को भी प्रकाशित करता है। वार्षिक रिपोर्ट और न्यूज़लेटर दोनों ही डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर प्रमुखता से उपलब्ध हैं।

संगठन और कार्य

संगठन की संरचना


निगम के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार निदेशक मंडल में निहित है।

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अनुसार:

- (1) निगम के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-
 - क. भारतीय रिज़र्व बैंक का तत्समय गवर्नर अथवा, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, उस बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल की समिति के निर्णय के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए किसी उप गवर्नर को नामित करता है तो इस प्रकार नामित उप गवर्नर, बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

- ख. उस बैंक द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का उप-गवर्नर या कोई अन्य अधिकारी;
- ग. केन्द्र सरकार द्वारा नामित केन्द्र सरकार का एक अधिकारी;
- घ. पांच निदेशक, जो केन्द्र सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के परामर्श से नामित किए जाएंगे, जिनमें से तीन ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें वाणिज्यिक बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, उद्योग या वित्त का विशेष ज्ञान होगा और दो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें सहकारी बैंकिंग या सहकारी गतिविधि का विशेष ज्ञान या अनुभव होगा, और कोई भी निदेशक सरकार या रिज़र्व बैंक का अधिकारी या निगम का अधिकारी या अन्य कर्मचारी या किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक का निदेशक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी नहीं होगा या किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक से अन्यथा सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ नहीं होगा।
- ङ. लेखाशास्त्र, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि या लघु उद्योग अथवा कोई अन्य विषय, जिसका विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव केन्द्र सरकार की राय में निगम के लिए उपयोगी हो सकता है, के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले चार निदेशक, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के परामर्श से नामित किया जाएगा।

संगठनात्मक आरेख



विभाग

डीआईसीजीसी में वर्तमान में छः विभाग और बारह प्रभाग/कक्ष हैं।

- दावा निपटान विभाग (सीएसडी)
- लेखा और कराधान विभागं (डीएटी)
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)
- मानव संसाधन प्रबंध विभाग (मासंप्रवि)
- बीमा परिचालन विभाग (आईओडी)
- सचिव विभाग (एसडी)



- •लेखा परीक्षा बजट समन्वयन कक्ष (एबीसीसी)
- •संचार कक्ष
- •शिकायत निवारण कक्ष (सीआरसी)
- •आईएडीआई और बाहरी संबंध कक्ष
- •सूचना प्रबंधन और डेटा एनालिटिक्स कक्ष (आईएमडीएसी)
- •विधि कक्ष
- •राजभाषा कक्ष
- •परियोजना प्रबंधन कक्ष
- •वसूली प्रबंधन कक्षु (आरएमसी)
- •अनुसंधान, नीति और सूचना कक्ष (आरपीआईसी)
- •जोखिम प्रबंधन कक्ष
- •ट्रेजरी (फ्रंट, मिड और बैक) ऑफिस



डीआईसीजीसी के प्रकाशन

- वार्षिक रिपोर्ट
- समिति की रिपोर्ट
- 'सुरक्षा कवच' (अर्धवार्षिक न्यूज़लेटर, 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी)

इतिहास

1948 में बंगाल में बैंकिंग संकट के बाद पहली बार बैंक में रखी जमाराशियों का बीमा कराने की संकल्पना पर विशेष ध्यान दिया गया। 1949 में इस विषय पर पुन: विचार किया गया परंतु बैंकों का निरीक्षण करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तक इसे आस्थिगत रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच सिमति ने भी इस संकल्पना का समर्थन किया। तथापि, वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लिमि. तथा लक्ष्मी बैंक लिमि. के विफल हो जाने के बाद रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों का बीमा करने के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। 21 अगस्त 1961 को संसद में निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) बिल प्रस्तुत किया गया। संसद द्वारा इसे पारित किए जाने के बाद 7 दिसंबर 1961 को इस बिल को राष्ट्रपति की सहमित प्राप्त हुई और 1 जनवरी 1962 से निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 लागू हुआ।

प्रारंभ में जमा बीमा योजना मात्र कार्यकारी सभी वाणिज्यिक बैंकों तक ही लागू की गई। इसमें भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाएं सम्मिलित थीं।

वर्ष 1968 से, निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के अधिनियमित होने के बाद, निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के तहत "पात्र सहकारी बैंकों" का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे। पात्र सहकारी बैंक का अर्थ है किसी राज्य में स्थित सहकारी बैंक (चाहे वह राज्य सहकारी बैंक हो, केन्द्रीय सहकारी बैंक हो या प्राथमिक सहकारी बैंक हो) जिसने अपने सहकारी समिति अधिनयम में इस आशय से संशोधित करते हुए समर्थकारी कानून पारित किया है, जिसके तहत राज्य सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक को यह शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है कि वह किसी राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को किसी सहकारी बैंक का समापन करने या उसकी प्रबंध समिति को अधिक्रमित करने का आदेश दे सके और रजिस्ट्रार से अपेक्षित है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित में पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुनर्निमार्ण के लिए कोई कार्रवाई न करे।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए)(ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में इस योजना का संचालन भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा गया और बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करने हेतु इसे ऋण गारंटी संगठन (सीजीओ) का नाम दिया गया। रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 1981 तक इस योजना का परिचालन किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक सार्वजिनक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया, जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों को प्राथिमकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण और अग्रिमों पर गारंटी कवर प्रदान करके, अब तक उपेक्षित क्षेत्रों, विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से, उपर्युक्त दोनों संगठनों (डीआईसी और सीजीसीआई) का विलय कर दिया गया और 15 जुलाई 1978 को वर्तमान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अस्तित्व में आया। परिणामस्वरूप, निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 का शीर्षक बदलकर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961' कर दिया गया।

1 अप्रैल 1981 से निगम ने भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के रद्द हो जाने के बाद लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण के लिए भी गारंटी सपोर्ट प्रदान किया। भारतीय रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार 1 अप्रैल 1989 से समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को भी गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाने लगी। हालांकि, 1 अप्रैल 1995 से सभी आवास ऋणों को निगम की गारंटी सुरक्षा की परिधि से निकाल दिया गया। क्योंकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही थी अतः अप्रैल 2003 में क्रेडिट गारंटी योजना बंद कर दी गई।

वर्तमान में, निक्षेप बीमा ही निगम का प्रधान कार्य है।



Table of Contents

About Us	1
Establishment	1
Preamble	2
Legal Framework	2
Main Functions	2
Key Features of Deposit Insurance System in India	2
Mandate and Powers	2
Membership	2
Coverage	3
Premium	4
Reimbursing Depositors	4
Recovery of Settled Claims	5
Communication Strategy and Public Awareness	5
Organisation and Functions	7
Organisation Structure	7
Organogram	
Departments	10
Publications of DICGC	10
History	10

About Us

Establishment

The DICGC is a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India (RBI). The authorised capital of the Corporation, entirely subscribed to by RBI, is ₹50 crore (₹500 million).

The Head Office of DICGC is at Mumbai.

Preamble

The preamble of the DICGC Act, 1961 states that it is an Act to provide for the establishment of a Corporation for the purpose of insurance of deposits and guaranteeing of credit facilities and for other matters connected therewith or incidental thereto.

Legal Framework

The functions of DICGC are governed by the <u>DICGC Act, 1961 and the DICGC</u> General Regulations, 1961 as amended from time to time.'

Main Functions

The two principal public policy objectives of the deposit insurance system are to protect depositors and contribute to financial stability. The main functions of DICGC are to formulate, implement and monitor the deposit insurance policy.

Mission: To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors.

Vision: To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders.

Key Features of Deposit Insurance System in India

Mandate and Powers

The Corporation is authorised to reimburse depositors in case of winding up of an insured bank and in case a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction or amalgamation in respect of an insured bank is sanctioned and if the Scheme so demands.

The Corporation's mandate was strengthened in August 2021 with amendments to DICGC Act, 1961. This amendment, viz., insertion of Section 18A, provided for payout within a stipulated timeline to depositors of banks placed under directions by the banking supervisor, i.e., the Reserve Bank of India (RBI), when such directions provide for restrictions on depositors of such bank from accessing their deposits.

Membership

The Deposit Insurance Scheme was initially extended to commercial banks including branches of foreign banks operating in India. Since 1968, the scheme was extended to cooperative banks. The insured commercial banks include Small Finance Banks (SFBs), Payment Banks (PBs), Regional Rural Banks (RRBs), and Local Area Banks (LABs). Co-operative banks covered under the Deposit Insurance Scheme include State Cooperative Banks (StCBs), District Central Cooperative Banks (DCCBs) and Primary Cooperative Banks/Urban Cooperative Banks (UCBs). Land development banks and NBFCs are not covered under DICGC insurance cover mandated under DICGC Act,1961.

Coverage

Scope: The Corporation insures all bank deposits except (i) deposits of Union/State Governments; (ii) deposits of foreign governments; (iii) inter-bank deposits; (iv) deposits received outside India, and (v) deposits specifically exempted by the Corporation with the prior approval of RBI.

Coverage Limit: The current deposit insurance coverage limit with effect from February 4, 2020 is ₹5,00,000/- (approx. USD 6,000) per depositor for deposits held in "the same capacity and in the same right" at all the branches of a bank taken together. DICGC Act empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the limit has been revised from time to time as shown in the Table below.

Table: Deposit Insurance Coverage

Effective from	Insurance Cover (up to)
January 1, 1962	₹1,500/-
January 1, 1968	₹5,000/-
April 1, 1970	₹10,000/-
January 1, 1976	₹20,000/-
July 1, 1980	₹30,000/-
May 1, 1993	₹1,00,000/-
February 4, 2020	₹5,00,000/-

Premium

The Corporation currently charges premium at a flat rate of 12 paisa (₹ 0.12) for ₹100 assessable deposit per annum with effect from April 1, 2020.

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system. The premia to be paid by the insured banks are computed based on their assessable deposits. The premium which was previously collected quarterly from the insured banks was made payable half yearly from 1979.

Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the start of each financial half year, based on their deposits at the end of previous half year. That is, the advance premium for the half year April-September (and October-March) is based on the assessable/eligible deposits at the end of March (end-September) and has to be paid by end-May (end-November). The rate of premium has been revised from time to time (Table).

Table: Insurance Premium Rates (As per cent of deposit of ₹100)

Date from	Premium (in ₹)
January 1, 1962	0.05
October 1, 1971	0.04
July 1, 1993	0.05
April 1, 2004	0.08
April 1, 2005	0.10
April 1, 2020	0.12

Reimbursing Depositors

DICGC makes payments to insured depositors under the following circumstances:

- If a bank is reconstructed/amalgamated/merged with another bank, DICGC pays the bank concerned, the difference between the full amount of deposit or the limit of insurance cover in force at the time, whichever is less and the amount received by him under the reconstruction/amalgamation scheme within two months from the date of receipt of claim list from the transferee bank/Chief Executive Officer of the insured bank/transferee bank as the case may be.
- In cases where RBI imposes directions on insured banks and such directions restrict depositors from accessing their deposits, then DICGC becomes liable to pay each depositor an amount of up to Rs. five lakh in respect of the deposits

held in the same capacity and in the same right within 90 days. This is subject to submission of a list, within 45 days, showing the outstanding deposits of each depositor as on the date of effect of the directions by the insured bank and certified to be correct by the chief executive officer. DICGC makes payment in next 45 days.

• When an order of liquidation/winding up of a bank is made by the competent authority, DICGC becomes liable to pay an amount of up to Rs. five lakh to each depositor in lieu of his or her deposits with the insured bank held in the same capacity and in the same right. Such reimbursement is to be made within two months of receipt of the claim list in the prescribed form from the liquidator. The liquidator has to disburse the claim amount to each insured depositor corresponding to their claim amount.

All payment to insured depositors is made through an agency arrangement with a public sector bank.

Recovery of Settled Claims

Upon receiving information regarding the amount paid by the Corporation to the depositors under the provisions of the DICGC Act,

- In the case of a scheme of the compromise/arrangement/reconstruction/ amalgamation in respect of an insured bank, the bank shall repay to the Corporation within the timeframe and manner as prescribed by the Corporation.
- In the case of an insured bank placed under AID, the bank shall repay the amount to the Corporation in five equal annual instalments, beginning the following year.
- In the case of liquidation of a bank, whose license has been cancelled and subsequently de-registered by the Corporation, the liquidator shall repay this amount to the Corporation from time to time out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after netting off the expenses incurred.

Communication Strategy and Public Awareness

 Communication Policy: Communication is a key element in the functioning of modern deposit insurers, who are placing greater emphasis on transparency and accountability. The Corporation has framed a Board approved Communication Policy in line with the IADI Core Principle 10. The policy follows the guiding principles of relevance, transparency, clarity, comprehensiveness and timeliness. A Technical Advisory Committee (TAC) has also been constituted with members from RBI DICGC and external communication specialists with the objective of guiding the communication strategy for the Corporation keeping in view the diverse (geographical, economic, social and age) background. As part of this strategy, the Corporation disseminates information about the deposit insurance scheme to the public on its website and through insured banks.

- Printing of brochures, posters and Advertisements: From time-to-time
 DICGC has been publicising information on deposit insurance through printing
 of brochures and posters in English, Hindi and the main regional languages in
 the offices/branches of the insured banks.
- Chapter on deposit insurance and DICGC in RBI's FAME booklet: The
 Corporation is actively engaged with RBI for incorporation of information about
 deposit insurance and DICGC in its public awareness campaigns. RBI's
 Financial Awareness Messages (FAME) booklet for February 2024 has now a
 specific chapter on deposit insurance and DICGC.
- Use of a local messaging App: During 2022- 23, the Corporation initiated the
 use of a local messaging app for depositors' awareness on deposit insurance,
 including in areas where banks have been placed under AID of the RBI or
 licences have been cancelled for availing claims from DICGC. These messages
 on deposit insurance are also displayed in regional languages to maximise
 public outreach.
- Display of DICGC logo and QR Code on Banks' website: Effective from September 1, 2023, all insured banks have been advised to display the DICGC logo and QR Code prominently on their web page for focussed dissemination of information related to deposit insurance.
- Electronic messages via mobile phones are being sent to depositors of liquidated banks and banks under AID at each stage of claim settlement process i.e., on receipt of claim and on sanction of claim. This enables real time sharing of information of claim settlement.
- Claim Status Tracker: Public can also check status of their claim via claim status tracker viz., 'Daava Soochak' available on DICGC web site. Presently

- the facility is available for banks under AID of RBI w.e.f, April 1, 2024 and will be shortly extended to liquidated banks.
- RBI Press Release: As soon as a bank is placed under directions by RBI, with
 restrictions on withdrawal of deposits, the press release by RBI incorporates
 information regarding DICGC pay-out under section 18A of DICGC Act 1961 to
 create awareness among the banks/public.
- DICGC Press release: As soon as RBI cancel bank license or places a bank under AID, requiring payment by DICGC under Section 16 or Section 18A of DICGC Act 1961, as the case may be, details of claim pay out date, willingness form submission details, and contact details of the liquidator/AID banks is made available on DICGC web site.
- DICGC Newsletter: In addition to publication of its Annual Report, DICGC also
 publishes bi-annual newsletter "Safety Net" (w.e.f April 1, 2024) covering
 important developments related to deposit insurance in India and world, for
 information of all its stakeholders. Both the Annual Report and Newsletter is
 prominently available on DICGC web site.

Organisation and Functions

Organisation Structure

The general superintendence, direction and management of the affairs of the Corporation vest in a Board of Directors as provided in Section 5 of DICGC Act, 1961.


In terms of Section 6 of DICGC Act, 1961:

- (1) The Board of directors of the Corporation shall consist of the following, namely:-
- (a) the Governor, for the time being, of the Reserve Bank or, if the Reserve Bank, in pursuance of the decision of the committee of the Central Board of Directors of that Bank, nominates any Deputy Governor for the purpose, the Deputy Governor so nominated, who shall be the Chairman of the Board;
- (b) a Deputy Governor or any other officer of the Reserve Bank nominated by that bank;
- (c) an officer of the Central Government nominated by that Government;
- (d) five directors nominated by the Central Government in consultation with the Reserve Bank, three of whom shall be persons having special knowledge of commercial banking, insurance, commerce, industry or finance and two of whom shall

be persons having special knowledge of, or experience in, co- operative banking or cooperative movement, and none of directors shall be an officer of Government or of the Reserve Bank or an officer or other employee of the Corporation or a director, an officer or other employee of a banking company or a co-operative bank or otherwise actively connected with a banking company or a co-operative bank.

(e) four directors, nominated by the Central Government in consultation with the Reserve Bank, having special knowledge or practical experience in respect of accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, Deposit Insurance and Credit Guarantee finance, law or small scale industry or any other matter, the special knowledge of, and practical experience in which, is likely in the opinion of the Central Government, to be

Organogram



Departments

DICGC presently has six Departments and twelve Divisions/Cells.

- Claims Settlement Department (CSD)
- Department of Accounts and Taxation (DAT)
- Department of Information Technology (DIT)
- Human Resources Management Department (HRMD)
- Insurance Operations Department (IOD)
- Secretary's Department (SD)



- Audit Budget Coordination Cell (ABCC)
- Communication Cell
- Complaints Redressal Cell (CRC)
- IADI and External Relations Cell
- Information Management and Data Analytics Cell (IMDAC)
- Legal Cell
- Official Language/Rajbhasha Cell
- Project Management Cell
- Recovery Management Cell (RMC)
- Research, Policy, Information Cell (RPIC)
- Risk Management Cell
- Treasury (Front, Mid and Back) Offices



Publications of DICGC

- Annual Report
- Committee Reports
- 'SAFETY NET' (Half Yearly Newsletter, w.e.f April 1, 2024)

History

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crises in Bengal. The question came up for reconsideration in the year 1949, but it was decided to hold it in abeyance till the Reserve Bank of India ensured adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee also supported the concept. Serious thought to the concept was, however, given by the Reserve Bank of India and the Central Government after the crash of the Palai Central Bank Ltd., and the Laxmi Bank Ltd. in 1960. The Deposit Insurance Corporation (DIC) Bill was introduced in the Parliament on August 21, 1961. After it was passed by the Parliament, the Bill got the assent of the President on December 7, 1961, and the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

The Deposit Insurance Scheme was initially extended to functioning commercial banks only. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

Since 1968, with the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, the Corporation was required to register the 'eligible co-operative banks' as insured banks under the provisions of Section 13 A of the Act. An eligible co-operative bank means a co-operative bank (whether it is a State co-operative bank, a Central co-operative bank or a Primary co-operative bank) in a State which has passed the enabling legislation amending its Co-operative Societies Act, requiring the State Government to vest power in the Reserve Bank to order the Registrar of Co-operative Societies of a State to wind up a co-operative bank or to supersede its Committee of Management and to require the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank of India.

Further, the Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, introduced a Credit Guarantee Scheme in July 1960. The Reserve Bank of India was entrusted with the administration of the Scheme, as an agent of the Central Government, under Section 17 (11 A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organization (CGO) for guaranteeing the advances granted by banks and other Credit Institutions to small scale industries. The Reserve Bank of India operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank of India promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The main thrust of the Credit Guarantee Schemes, introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the above two organizations (DIC & CGCI) were merged and the present Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) came into existence on July 15, 1978. Consequently, the title of Deposit Insurance Act, 1961 was changed to 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 '.

Effective from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances, as per the definition of the Reserve Bank of India. However, effective from April 1, 1995, all housing loans were excluded from the purview of guarantee cover by the Corporation. The Credit Guarantee Scheme was discontinued in April 2003 as no credit institution was participating in any of the credit guarantee scheme administered by the Corporation.

Denosit Insurance and Credit Guarantee Confe Currently, Deposit insurance remains the principal function of the Corporation.